फैक्स/अति आवश्यक/आजही निर्गत

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या:डीजी–चार–101(16)2013 दिनॉक:लखनऊ: जनवरी 1 ,2014

आदेश

उ0प्र0 उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा कुल 223 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति का चयन परिणाम मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका प्रकाशन इस मुख्यालय के आदेश संख्या:डीजी–101(16)2013 दिनॉक:12–07–2013 द्वारा उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–7 (क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रकरण में पूर्णत: निर्दोष पाये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुहर बन्द लिफाफों को खोलकर उनमें रखी गयी प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा की गयी संस्तुति के कियान्वयन की कार्यवाही की गयी। प्राधिकृत बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति में निम्नलिखित 06 उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के आधार पर निम्नलिखित 06 उपनिरीक्षकगण को तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके कनिष्ठ की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	पी0एन0ओ0	उ0नि0 का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	पीटीसी बैच	नियुक्ति जनपद/इकाई	जोन	भर्ती का वर्ष
1	3	4	5			6		
1	812110342	मेवाराम चौधरी	स्व0 वंशी लाल	05.05.1954	1980–81	अमेठी	LKW	2006
2	752750417	हरिवंश सिंह	श्री केशव सिंह	01.07.1954	1981–82	बॉदा	ALD	2007
3	842540069	मुन्ना लाल	श्री भोपती राम	16.01.1956	1982–83	अलीगढ	AGA	2008
4	762012378	अशोक कुमार पाठक	श्री शान्ति प्रसाद पाठक	01.01.1955	1975–76	एटा	AGA	2011
5	802010896	अरूण कुमार	स्व0 श्री चतर सिंह	01.01.1962	1989–90	हाथरस	AGA	2012
6	902540071	रंजन कुमार शर्मा	सतीश चन्द्र शर्मा	23.01.1966	1989–90	जीआरपी मुरादाबाद	GRP	2012

3— पदोन्नति पाये उपरोक्त उपनिरीक्षकगण अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये निरीक्षकगण की निरीक्षक पद पर आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण एवं उनकी वरिष्ठता के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेगें।

4— पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित कर्मी द्वारा इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा—पत्र दिया जायेगा कि उनके विरूद्ध पदोन्नति के आदेश के दिनॉक तक कोई विभागीय कार्यवाही/जॉच अथवा अपराधिक अभियोग लम्बित/प्रचलित नहीं है यदि है तो कर्मी द्वारा उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा। यदि किसी कर्मी द्वारा घोषणा—पत्र में विभागीय कार्यवाही अथवा अभियोग लम्बित होने की कोई जानकारी दी जाती है अथवा वर्तमान में कोई कर्मी निलम्बित चल रहा हो तो उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके प्रकरण समस्त विवरण के साथ इस मुख्यालय को सन्दर्भित कर स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिये जाये।

5— सम्बन्धित कर्मियों को सचेत किया जाता है कि यदि उनके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा—पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता है अथवा तथ्य छिपाया जाना पाया जाता है तो उनका पदोन्नति आदेश निरस्त कर उसके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.govt.in/ पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृप्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, जीआरपी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
2— सदस्य/सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,उ0प्र0 लखनऊ।
4— पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ/इलाहाबाद/आगरा जोन्स उ0प्र0।
5— पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
6— पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र फैजाबाद/चित्रकूट/अलीगढ।
7— वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अमेठी/बॉदा/अलीगढ/एटा/हाथरस।